न्यामूर्ति जितेंद्र चौहान के समक्ष

डॉ. मंगला डोगरा और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

अनिल कुमार मल्होत्रा और अन्य-उत्तरदाता

2011 का सी. आर. सं. 6337

29 नवंबर, 2011

भारत का संविधान-अनुछेद 226 - नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908-ओ.7 आर एल.11-भारतीय दंड संहिता, 1860-एस. 312 - गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति नियम 1971-अस. 2 (डी), 3 (2), 4, 5 और 8 - चिकित्सा समाप्ति गर्भावस्था नियम, 2003 - आर एल.5 - गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति नियम, 1975- आर एल. 8 - पत्नी द्वारा पति की सहमति बिना गर्भावस्था की समाप्ति - पति द्वारा मुआवजे के लिए दीवानी मुकदमा गर्भावस्था की समाप्ति के जिम्मेदार पत्नी उसके भाई, माता पिता और डॉक्टर के खिलाफ दायर-मुकदमे के प्रतिवादी ने एक आवेदन आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के तहत दायर किया- निचली अदालत ने आवेदन को खारिज किया-पुनः अवलोकन याचिका में हाई कोर्ट ने ट्रायलकोर्ट के आदेश रद्द और आवेदन तहत ओ-7 नियम 11 को स्वीकृत किया यह कहते हुये की MTP Act के धारा 3 (4) (बी) के तहत गर्भवती महिला की सहमति आवश्यक है। दायर मुकदमा खारिज कर दिया।

यह स्वीकृत है कि बच्चे को जन्म देना महिला का व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन पति को यह अधिकार नहीं है की वह बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी पत्नी को मजबूर करे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायिक पूर्व निर्णय हैं, जहां अदालतों ने पत्नी द्वारा गर्भपात को मानसिक क्रूरता माना है और मामले के अनूठे तथ्यों और

परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस आधार पर पति को तलाक दिया है।लेकिन, हाथ में मामले में, पक्षों का एक बेटा है जिसका जन्म 14.02.1995 को हुआ है।दोनों पक्षों के संबंध तनावपूर्ण हो गए और वर्ष 1999 में पत्नी ने चंडीगढ़ में अपने पति से अलग रहना शुरू कर दिया।दूसरी गर्भधारण के समय बेटे की आयु लगभग आठ वर्ष थी, जो माँ/पत्नी के साथ है।कोई भी व्यक्ति अपनी गर्भावस्था को जारी रखने या गर्भपात करने के पत्नी के व्यक्तिगत निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जो इस कारण से हो सकता है कि एक ही छत के नीचे एक साथ रहने का प्रयास विफल हो गया है और उनका बेटा आठ साल का था।

(पैरा 22)

डॉ. मंगला डोगरा और अन्य

447

बनाम

अनिल कुमार मल्होत्रा और अन्य

(न्यामूर्ति जितेंद्र चौहान, के समक्ष)

आगे अभिनिर्धारित किया गया कि शिकायत की अस्वीकृति के लिए संहिता के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से, शुरुआत में, किसी भी साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता है।पक्षकारों के बीच मामले की योग्यता पर जो मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं, वे इस स्तर पर न्यायालय के दायरे में नहीं होंगे।इस स्तर पर यह देखा जाना चाहिए कि क्या प्रतिवादियों के खिलाफ वाद हेतु कोई समर्थ कारण बनता है या यह कि मुकदमा प्रथमदृष्टया, परेशान करने वाला, दुर्भावनापूर्ण है, जो केवल प्रतिवादियों को परेशान करने के लिए गलत उद्देश्य से दायर किया गया है।इसे स्वयं अभियोग की अभिवचनों से देखा जाना चाहिए। संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत, एक दीवानी मुकदमा को बिना सुनवाई के खारिज किया जा सकता है, अगर अदालत संतुष्ट है की वादी को प्रतिवादियों या किसी भी प्रतिवादी या कुछ प्रतिवादियों के खिलाफ वाद हेतु समर्थ कारण नहीं मिला है।

(पैरा 26)

यह आगे अभिनिर्धारित किया कि गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम 1971 पति को, उसके रिश्तेदारों को तो क्या, संबंधित महिला को गर्भपात कराने से रोकने का अधिकार नहीं देता है, यदि उसका मामला उस अधिनियम की धारा 3 के तहत आता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 312 के तहत गर्भपात कराना एक दंडनीय अपराध है।कुछ परिस्थितियों में गर्भपात को वैध बनाने वाले अधिनियम में तब से प्रासंगिक नागरिक कानून को शामिल किया गया है।चूँकि कानून इस तरह की समाप्ति को प्रभावी बनाने के लिए उदार है, इसलिए अधिनियम किसी भी स्थिति में पति की सहमति पर कोई प्रावधान नहीं करता है।

(पैरा 27)

अलका सरीन, अधिवक्ता याचिकाकर्ता -C.R.No 2011 का 6017
प्रतिवादी संख्या 3 और 4 (के लिए)

संदीप छाबड़ा, अधिवक्ता याचिकाकर्ता C.R.No. 2011 का 6017 और
(C.R.No. 2011 का 6337 में प्रतिवादी संख्या 3 से 5 (के लिए)

अश्विनी तलवार, अधिवक्ता प्रतिवादी नंबर 1 के लिए

सीमा पसरीचा अधिवक्ता, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए

(न्यामूर्ति जितेंद्र चौहान)

(1) मेरा यह निर्णय दो दीवानी पूनःअवलोकन 2011 के संख्या 6337 (शीर्षक "डॉ. मंगला डोगरा और अन्य बनाम अनिल कुमार मल्होत्रा और अन्य") और 2011 के संख्या 6017, शीर्षक ("अजय कुमार पसरीचा और अन्य")

(अनिल कुमार मल्होत्रा और अन्य)निपटा देगा जिन्हें सिविल जज (जूनियर डिवीजन) चंडीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 20.8.2011 के आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

(2) इन दीवानी पूनः अवलोकन को जन्म देने वाले तथ्य प्रतिवादी संख्या 1 अनिल कुमार मल्होत्रा और प्रतिवादी संख्या 2, सीमा मल्होत्रा के बीच वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुए।पार्टियों के बीच शादी दिनांक 17.4.1994 को संपन्न हुई थी। इस शादी से एक लड़के का जन्म 14.2.1995 को हुआ था।पार्टियाँ पानीपत में रहती थीं।पार्टियों के बीच शत्रुता और तनावपूर्ण संबंधों के कारण, सीमा मल्होत्रा अपने नाबालिग बेटे के साथ 1999 से चंडीगढ़ में अपने माता-पिता के साथ रह रही थीं।प्रतिवादी संख्या 5 प्रतिवादी संख्या 2 का भाई है, जबकि प्रतिवादी संख्या 3 और 4 उसके माता-पिता हैं।प्रतिवादी नंबर 1, सीमा मल्होत्रा ने पति अनिल कुमार मल्होत्रा से भरण-पोषण का दावा करते हुए धारा 125 Cr.P.C के तहत एक आवेदन दायर किया। 9.11.2002 को धारा 125 सी.आर.पी.सी. के तहत आवेदन विचाराधीनता रहने के दौरान। लोक अदालत, चंडीगढ़ के प्रयासों से, वह पति के साथ जाने के लिए सहमत हो गईं। नतीजतन, दंपति पानीपत चले गए। दिनांक 2.1.2003 पर, अनिल कुमार मल्होत्रा को पता चला कि सीमा मल्होत्रा गर्भवती हो गई हैं।पत्नी-सीमा मल्होत्रा गर्भावस्था जारी नहीं रखना चाहती थीं और वह भ्रूण का गर्भपात कराना चाहती थीं, क्योंकि उनके साथ रहने के बावजूद, उनके बीच मतभेद बने रहे। पति-प्रतिवादी नं. 1 का यह मामला है की उसकी पत्नी अपनी चिकित्सकीय जाँच कराने के बहाने, डॉ. (श्रीमती) रितु प्रभाकर, प्रभाकर अस्पताल, पानीपत गई। हालांकि, वह भ्रूण का गर्भपात कराने पर अड़ी थी लेकिन पति ने मना कर दिया। 3.1.2003 को उसने चंडीगढ़ अपनी माँ से संपर्क किया।अपनी माँ की सलाह पर, वह अपने पति और बेटे के साथ चंडीगढ़ आई। 04.01.2003 को वे चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के जनरल अस्पताल गए।पति ने गर्भपात के लिए अपनी सहमति देने के कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।पति ने पत्नी को भ्रूण का गर्भपात कराने से रोकने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया।उस मुकदमे को सितंबर, 2003 में वापस ले लिया गया था, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 ने नागपाल अस्पताल, सेक्टर 19, चंडीगढ़ में एम. टी. पी.

(गर्भ का चिकित्सीय समापन) कराया था।एम. टी. पी. डॉ. मंगला डोगरा द्वारा एनेस्थेटिस्ट के रूप में डॉ. सुखबीर ग्रेवाल की सहायता से किया गया था।पति-प्रतिवादी संख्या 1 ने उसके मानसिक दर्द, पीड़ा और उत्पीड़न के कारण हर्जाने के लिए 30 लाख रुपये की वसूली के लिए एक दीवानी मुकदमा पत्नी सीमा मल्होत्रा, उसके माता-पिता, भाई, डॉ. मंगला डोगरा और Dr.Sukhbir ग्रेवाल के खिलाफ

डॉ. मंगला डोगरा और अन्य
449
बनाम
अनिल कुमार मल्होत्रा और अन्य
(न्यामूर्ति जितेंद्र चौहान)

अवैध रूप से गर्भपात कराने के लिए डाला। मुकदमे में यह आधार लिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1, जो अभी तक पैदा नहीं हुए बच्चे का पिता है, की विशिष्ट सहमति प्राप्त नहीं की गई थी और एम. टी. पी. उत्तरदाता संख्या 2 से 6 की मिलीभगत से किया गया था।सभी प्रतिवादी बिना किसी चिकित्सा आवश्यकता के गर्भपात के अवैध कार्य के संचालन के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से जिम्मेदार हैं।वाद (अनुलग्नक पी-1) के पैरा सं. 15 और 16 में, वादी-प्रत्यर्थी सं. 1 ने निम्नानुसार अभिमत व्यक्त किया:-

"15. कि प्रतिवादी संख्या 1 उत्तरदायी है क्योंकि वह गर्भपात के अवैध कार्य में लिप्त थी और वादी को बच्चा पैदा करने के अवसर से वंचित करती थी। प्रतिवादी संख्या 2,3 और 4 ने वादी की सहमति के बिना और इस संबंध में कोई चिकित्सा आवश्यकता के बिना गर्भपात करने में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सक्रिय रूप से सांठगांठ की।प्रतिवादी संख्या 5 और 6 ने वास्तव में गर्भपात किया जबकी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी और फिर भी, इस संबंध में बच्चे के पिता होने के नाते वादी की कोई सहमति नहीं ली गई थी।

16. प्रतिवादी के हक में वाद हेतु समर्थ कारण 04.01.2003 को जब प्रतिवादी ने वादी की इच्छा के विरुद नागपाल अस्पताल, सेक्टर 19-ए, चंडीगढ़ में भ्रूण का गर्भपात कराया, उसके माता-पिता और उसके भाई ने उसके क्रूर, अवैध और अनैतिक कृत्य में उसका पूरा समर्थन किया, जिससे वादी को बहुत मानसिक पीड़ा हुई।"

(3) नोटिस प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ताओं ने एक आवेदन तहत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. धारा 151 सी पी सी के साथ पड़े। उनके खिलाफ मुकदमा को खारिज करने के लिए दायर किया और आवेदन के पैरा संख्या 12 और 13 में प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के खिलाफ निम्नानुसार आरोप लगाए: –

"12. कि वादी के बार-बार अनुरोध, विरोध और इनकार के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी की जानकारी या सहमति के बिना 4.1.2003 को नागपाल अस्पताल, सेक्टर 19, चंडीगढ़ में गर्भपात कराया।गर्भपात प्रतिवादी संख्या 5, डॉ. मंगला डोगरा और प्रतिवादी संख्या 6, डॉ. सुखबीर, एनेस्थेटिस्ट द्वारा किया गया था।

13. कि कानूनी रूप से, भ्रूण का गर्भपात तब तक नहीं किया जा सकता था जब तक कि यह प्रतिवादी के स्वास्थ्य को देखते हुए आवश्यक न हो।इसके अलावा, बच्चे का पिता होने के नाते अभियोक्ता की विशिष्ट सहमति की आवश्यकता होती है।हालाँकि, इस तथ्य के बावजूद कि कोई चिकित्सा समस्या नहीं थी और वादी की कोई सहमति नहीं ली गई थी, प्रतिवादी संख्या 5 और 6 ने प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की सक्रिय मिलीभगत से, नागपाल अस्पताल, सेक्टर-19, चंडीगढ़ में दिनांक 4.1.2003 को प्रतिवादी संख्या 1 के भ्रूण का गर्भपात किया।

(4) प्रतिवादी संख्या 5 और 6 द्वारा लिया गया रुख यह है कि नागपाल नर्सिंग होम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 (इसके बाद अधिनियम के रूप में

संदर्भित), के तहत गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए एक अनुमोदित स्थान है।अधिनियम की धारा 4 में कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर गर्भपात नहीं किया जाएगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 का नियम 5 गर्भावस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से एक स्थान की मंजूरी से संबंधित है।नियमों के नियम 5 (6) में कहा गया है कि आवेदन और जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सिफारिशों पर विचार करने के बाद समिति ऐसे स्थान को मंजूरी दे सकती है और फॉर्म बी में अनुमोदन का प्रमाण पत्र जारी कर सकती है। नागपाल नर्सिंग होम नियमों के तहत स्वीकृत स्थान है जो निम्नानुसार है

चंडीगढ़ प्रशासन

स्वास्थ्य विभाग

फॉर्म बी

(नियम 4 का उप-नियम (6) देखें।)

नीचे वर्णित स्थान को चिकित्सा गर्भपात अधिनियम, 1971 (1971 का 74) के उद्देश्य से अनुमोदित किया गया है।

स्थान का नाम	पताऔरअन्य	विवरण	मालिक का नाम
1	2		3
नागपाल नर्सिंग होम, H.No.5, सेक्टर-19-ए, चंडीगढ़	नागपाल नर्सिंग होम, H.No.5, सेक्टर-19-ए, चंडीगढ़		डॉ. मंगला डोगरा

एस डी/-
निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ
चंडीगढ़ प्रशासन
चंडीगढ़

5. यह आगे कहा गया कि प्रतिवादी संख्या 5 एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी है जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (डी) में परिभाषित किया गया है जबकि प्रतिवादी संख्या 6 एक योग्य एनेस्थेटिस्ट है।वर्तमान मामले में, गर्भावस्था का चिकित्सीय गर्भपात एक चिकित्सा व्यवसायी द्वारा और नियमों के तहत विधिवत अनुमोदित स्थान पर किया गया था।गर्भपात के समय, प्रतिवादी नंबर 1 की गर्भावस्था 6 सप्ताह और 4 दिनों की थी।अधिनियम की धारा 3 (2) का स्पष्टीकरण ॥ गर्भावस्था की समाप्ति से संबंधित है, जो निम्नानुसार हैः-

> "जहाँ कोई भी गर्भावस्था विवाहित महिला या उसके पति द्वारा बच्चों की संख्या को सीमित करने के उद्देश्य से उपयोग किए गए किसी भी उपकरण या विधि की विफलता के परिणामस्वरूप होती है, ऐसी अवांछित गर्भावस्था के कारण होने वाली पीड़ा को गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट माना जा सकता है।"

(6) प्रतिवादी संख्या 1 ने डॉक्टर को सूचित किया कि वह गर्भावस्था जारी नहीं रखना चाहती थी क्योंकि यह एक अवांछित गर्भावस्था थी और प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा जांच करने पर यह पाया गया कि गर्भावस्था 12 सप्ताह से कम की थी, प्रतिवादी संख्या 5 ने प्रतिवादी संख्या 1 से उचित सहमति प्राप्त करने के बाद गर्भावस्था को समाप्त कर दिया।अधिनियम की धारा 3 (4) (बी) के तहत, केवल गर्भपात से गुजर रही गर्भवती महिला की सहमति की आवश्यकता होती है।अधिनियम की धारा 3 (2) के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार एक अवांछित गर्भावस्था शारीरिक या मानसिक रूप से गंभीर चोट है। प्रतिवादी संख्या 5 और 6 ने अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से अनुसार करते हुए गर्भपात किया है और उनकी प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के साथ अनुसरणकरतेहुएकिसीभीकिसी भी तरह से कोई मिलीभगत नहीं है, जैसा कि वादी-प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आरोप लगाया गया है।

(7) प्रतिवादी संख्या 5 और 6 द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि शिकायत में उनके खिलाफ वाद हेतु किसी भी समर्थ कारण का खुलासा नहीं किया और आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत, शिकायत को खारिज किया जा सकता है।

(8) आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन का जवाब पति, वादी-प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस आधार पर दायर किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 5 और 6 की सक्रिय मिलीभगत से एम. टी. पी. किया है, इसलिए वे मुकदमे के लिए आवश्यक पक्ष हैं।यह आगे कहा गया कि भ्रूण का गर्भपात तब तक नहीं किया जा सकता था जब तक कि महिला के स्वास्थ्य को देखते हुए यह आवश्यक न हो।इसके अलावा, अभी तक पैदा नहीं हुए बच्चे के पिता की विशिष्ट सहमति की आवश्यकता है, इस तथ्य के बावजूद गर्भवती महिला को कोई चिकित्सीय समस्या नहीं थी।

जब पिता की सहमति प्राप्त नहीं की गई थी, तो यह पिता पर क्रूरता के बराबर है।रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेज नहीं रखा गया है जो दर्शाता है कि एम. टी. पी. करने की तत्काल आवश्यकता थी और वह भी केबल माता की सहमति से यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी संख्या 5 और 6 का एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना था।

9. विद्वान सिविल जज, (जूनियर डिवीजन) चंडीगढ़ ने रिकॉर्ड को देखने के बाद, 20.8.2011 के आदेश के माध्यम से आवेदन को खारिज कर दिया।उसी के पैरा संख्या 4 से 10 नीचे लिखे अनुसार हैः-

> "4. मैंने शिकायत का अध्ययन किया है और संबंधित मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 का भी अध्ययन किया है।वर्तमान मुकदमा प्रतिवादी संख्या 2 से 6 की सक्रिय मिलीभगत से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा की गई गर्भावस्था की अवैध समाप्ति से वादी/प्रतिवादी को हुई मानसिक पीड़ा और दर्द के लिए नुकसान की वसूली के लिए एक मुकदमा है और यह शिकायत के पैरा संख्या 13 में कहा गया है कि भ्रूण का गर्भपात तब तक नहीं किया जा

सकता था जब तक कि यह प्रतिवादी के स्वास्थ्य को देखते हुए कानून में आवश्यक न हो और बच्चे के पिता की सहमति नहीं ली गई हो और आवेदक संख्या 5 और 6 ने प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की मिलीभगत से प्रतिवादी संख्या 1 के भ्रूण का गर्भपात किया हो।यह पैरा सं. 5 में आगे बताया गया है कि आवेदक सं. 5 और 6 ने वास्तव में गर्भपात किया जब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी और इस संबंध में बच्चे के पिता होने के नाते वादी/प्रतिवादी की कोई सहमति नहीं ली गई थी।

5. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट की धारा 3 में ऐसी स्थिति का प्रावधान है जिसके तहत एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है।इसमें प्रावधान है कि गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है जहां गर्भावस्था की अवधि 12 सप्ताह से अधिक नहीं है और जब ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की राय अच्छी भावना से बनी है कि गर्भावस्था के जारी रहने से गर्भवती महिला के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट लगेगी।स्पष्टीकरण संख्या 1 और 2 गंभीर चोट की प्रकृति प्रदान करता है जो वैध समाप्ति किए जाने की स्थिति में होना आवश्यक है।

6. वर्तमान मामले में, आवेदक संख्या 5 और 6 द्वारा अग्रेषित याचिका यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए विधिवत सहमति दी और भ्रूण 12 सप्ताह से कम था। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 ऐसी गर्भावस्था को जारी नहीं रखना चाहता था क्योंकि यह गर्भनिरोधक की विफलता के कारण अवांछित गर्भावस्था थी।लेकिन इस स्तर पर, आवेदक/प्रतिवादी संख्या 5 और 6 रिकॉर्ड पर अपना कोई भी रिकॉर्ड पेश करने में विफल रहे हैं, जिसके माध्यम से वे प्रथम दृष्टया यह साबित कर सकते हैं कि जिस भ्रूण का उन्होंने संचालन किया था वह 12 सप्ताह से कम था और उन्होंने यह राय बनाई थी कि गर्भावस्था जारी रहने से गर्भवती महिला के जीवन

को बहुत खतरा होने वाला है और उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान होने वाला है।इसके अलावा, इस स्तर पर इस तथ्य का कोई प्रमाण नहीं है कि गर्भावस्था किसी भी गर्भनिरोधक आदि की विफलता के कारण हुई थी।

7. वर्तमान मुकदमे में वादी/प्रत्यर्थी ने आवेदक संख्या 5 और 6 के खिलाफ सीधे आरोप लगाए हैं कि उसने अन्य प्रतिवादियों की सक्रिय मिलीभगत से प्रतिवादी संख्या 1 की गर्भावस्था गर्भ का चिकत्सीय समाप्ति अधिनियम के अनुसार गर्भपात की कोई आवश्यकता न होते हुए भी समाप्त कर दिया। आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि संबंधित अधिनियम के तहत आवेदक संख्या 5 और 6 द्वारा सद्भावना से की गई कार्रवाई का संरक्षण है। लेकिन मेरी उपरोक्त विस्तृत चर्चा को देखते हुए, यह सवाल कि क्या गर्भपात आवेदक संख्या 5 और 6 द्वारा सद्भावना से किया गया था, उस मुद्दे पर साक्ष्य दिए जाने के बाद ही मुकदमा किया जा सकता है।तदनुसार, वर्तमान आवेदन इस स्तर पर बिना किसी आधार के है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

8. मैंने प्रतिवादी/आवेदक संख्या 2,3 और 4 द्वारा दायर आवेदन आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत इस आधार पर भी सुना है कि प्रतिवादी संख्या 2,3 और 4 के खिलाफ शिकायत की सामग्री से कोई आधार या समर्थ कारण नहीं बनता और उन्होंने उक्त कार्य प्रतिवादी संख्या 1 की मानसिक और शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया था। उनके द्वारा आगे यह आरोप लगाया जाता है कि वादी ने पहले भी इन्ही कारणों के आधार पर मुकदमा दायर किया था, लेकिन मुद्दे तैयार करने के बाद, वह अदालत में पेश नहीं हुआ और मुकदमा खारिज कर दिया गया।

9. इस आवेदन के जवाब में, वकील/प्रतिवादी ने आवेदक संख्या 2,3 और 4 के कथनों को अस्वीकार कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 5 और 6 ने वर्तमान आवेदन पहले दायर किये आवेदन के आधार पर डाला है जिसे पहले ही

खारिज कर दिया गया है और अतिरिक्त आधार यह है कि उन्ही कारणों पर दायर मुकदमा पहले ही खारिज कर दिया गया था।लेकिन इस स्तर पर उक्त तथ्य के निर्धारण के लिए आवेदकों द्वारा शिकायत, लिखित बयान और पहले के मुकदमा के मुद्दों की प्रमाणित प्रतियां रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई हैं।तदनुसार, उक्त मुद्दा कि क्या वर्तमान मुकदमा कानून के तहत वर्जित है, इस स्तर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है।इसके अलावा, वादी ने अपनी शिकायत में विशेष रूप से अनुरोध किया है कि प्रतिवादियों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर प्रतिवादी संख्या 1 की गर्भावस्था को समाप्त कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वादी को कथित मानसिक पीड़ा आदि हुई।तदनुसार, इस स्तर पर प्रतिवादियों के खिलाफ वादी के पक्ष में समर्थ कारण है।तदनुसार, आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत दायर वर्तमान आवेदन को खारिज किया जाता है।"

(10) उसी के खिलाफ, याचिकाकर्ताओं ने इन पुनःअवलोकन को प्राथमिकता दी है।

(11) याचिकाकर्ताओं (2011 के सी. आर. संख्या 6337 में) के विद्वान अधिवक्ता ने याचना कि प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे।प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2-पत्नी के साथ दुर्व्यवहार और परेशान कर रहा है।पत्नी अपने नाबालिग बेटे हेमंत के साथ 1999 से चंडीगढ़ में अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। उसने धारा 125 सी आर पी सी के तहत प्रतिवादी सं. 1 से भरण-पोषण का आवेदन किया था। 2002 में, उस आवेदन विचाराधीनता के दौरान पक्षकारों के बीच मामले से समझौता करने के लिए लोक अदालत के प्रयासों से, पत्नी पानीपत में पति-प्रतिवादी संख्या 1 के साथ रहने के लिए सहमत हो गई।लेकिन प्रतिवादी No.1-husband का व्यवहार नहीं बदला।उसने आगे फिर से पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके नाबालिग बेटे हेमंत को भी पीटा।उस अंतराल के दौरान, पार्टियों के साथ रहने पर, पत्नी गर्भवती हो गई।उसने कहा कि चूंकि पत्नी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं थी, इसलिए वह इस अवांछित गर्भावस्था को जारी नहीं रखना चाहती थी।उसने आगे कहा कि पति को भी दूसरे बच्चे के जन्म में कोई दिलचस्पी नहीं थी।वे डॉ. रितु प्रभाकर, प्रभाकर अस्पताल, पानीपत गए।प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी को चंडीगढ़ जाने का सुझाव दिया क्योंकि वहां सुविधाएं बेहतर हैं।वह अपने पति

प्रतिवादी नंबर 1 और बेटा के साथ 3.1.2003 को चंडीगढ़ आए। 4.1.2003 को, उसने याचिकाकर्ता डॉ. मंगला डोगरा से गर्भावस्था को समाप्त करवा दिया।पत्नी को परेशान करने के लिए, पति ने अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए 7.1.2003 पर मुकदमा संख्या 2 दायर किया।उक्त मुकदमा को 5.2.2011 पर निष्फल बताते हुए खारिज कर दिया गया था।उन्होंने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 3 (4) (बी) के अनुसार, गर्भवती महिला की सहमति प्राप्त करना वास्तव में गर्भपात के लिए एक आवश्यक शर्त है। एक पंजीकृत चिकित्सक ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए नेक इरादे से काम किया है, क्योंकि भ्रूण की अवधि छह सप्ताह थी।उन्होंने आगे कहा कि जहां महिला नाबालिग या मानसिक रूप से बीमार है और जिस मामले में चिकित्सक को गर्भवती महिला की जान बचाने के लिए आपातकालीन राय बनानी है, वहां अभिभावक की सहमति आवश्यक है।उन्होंने विस्तार से बताया कि तत्काल मामले में, अधिनियम की धारा 5 (1) के ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं।प्रतिवादी संख्या 2 अच्छी तरह से योग्य, स्वस्थ दिमाग का है, और एक बड़े बच्चे की माँ है और इसलिए, पति की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी।

(12) याचिकाकर्ताओं (2011 के सी. आर. सं. 6017 में) के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी सीमा मल्होत्रा के भाई और माता-पिता हैं, और गर्भावस्था की चिकत्सीय समाप्ति कराने में उनकी कोई भूमिका नहीं है।यह प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 का सचेत निर्णय था। उसने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा केवल अपमानित करने और परेशान करने के लिए मुकदमे में शामिल किया गया है।याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 2-पत्नी द्वारा किये कार्यों के कारण यचिकाकर्ता के खिलाफ कोई समर्थ कारण नहीं है ।

(13) दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क यह है कि एम. टी. पी. करने से पहले डॉक्टर द्वारा पति-प्रतिवादी संख्या 1 की व्यक्त

सहमति प्राप्त नहीं की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर की कोई राय नहीं थी कि प्रतिवादी संख्या 2 खराब स्वास्थ्य के कारण गर्भावस्था को वहन करने में असमर्थ है और इसलिए गर्भावस्था की चिकत्सीय समाप्ति की आवश्यकताb थी।उन्होंने कहा कि पत्नी का कृत्य पति के प्रति मानसिक क्रूरता के समान है, जो एम. टी. पी. के कारण मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है।

(14) मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और उनकी समर्थ सहायता से रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(15) प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना के लिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 (1971 का नंबर 34) के प्रासंगिक प्रावधानों को पढ़ना आवश्यक होगा।

"3. जब पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है।(1) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी उस संहिता के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा, अगर उसके द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी गर्भावस्था को समाप्त कर दिया जाता है।

(2) उप-धारा (4) के प्रावधानों के अधीन, एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है।

(क) जहाँ गर्भावस्था की अवधि बारह सप्ताह से अधिक नहीं है, यदि ऐसा चिकित्सक है, या

(ख) जहाँ गर्भावस्था की अवधि बारह सप्ताह से अधिक है लेकिन बीस सप्ताह से अधिक नहीं है, यदि कम से कम दो पंजीकृत चिकित्सक, इस नेक राय के हैं, की

(i) गर्भावस्था के जारी रहने से गर्भवती महिला के जीवन को खतरा होगा या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट लगेगी; या

(ii) इस बात का पर्याप्त जोखिम है कि यदि बच्चा पैदा हुआ था, तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित होगा जो गंभीर रूप से विकलांग हो।

स्पष्टीकरण I. जहाँ गर्भवती महिला द्वारा बलात्कार के कारण कोई गर्भावस्था होने का आरोप लगाया जाता है, वहाँ ऐसी गर्भावस्था के कारण होने वाली पीड़ा को गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट माना जाएगा।

स्पष्टीकरण II. जहां कोई भी गर्भावस्था किसी भी विवाहित महिला या उसके पति द्वारा बच्चों की संख्या को सीमित करने के उद्देश्य से उपयोग किए गए किसी भी उपकरण या विधि की विफलता के परिणामस्वरूप होती है, ऐसी अवांछित गर्भावस्था के कारण होने वाली पीड़ा को गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट माना जा सकता है।

(3) यह निर्धारित करने में कि क्या गर्भावस्था के जारी रहने से स्वास्थ्य को नुकसान होने का ऐसा जोखिम होगा जैसा कि उप- धारा (2) में उल्लेख किया गया है, गर्भवती महिला के वास्तविक या उचित पूर्वानुमेय वातावरण को ध्यान में रखा जा सकता है।

(4) (क) अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करने वाली महिला या अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने वाली महिला (मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति) की गर्भावस्था को उसके अभिभावक की लिखित सहमति के अलावा समाप्त नहीं किया जाएगा।

(ख) धारा (क) में किए गये प्रावधान के अलावा, गर्भवती महिला की सहमति के अलावा किसी भी गर्भावस्था को समाप्त नहीं किया जाएगा।

(16) इन पुनः अवलोकनो में विचार के लिए प्रश्न यह है कि "क्या पत्नी द्वारा अवांछित गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए पति की स्पष्ट सहमति की आवश्यकता है?"

(17) यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मामला है जहां एक पति ने अदालत में पति और पत्नी के विशेषाधिकार प्राप्त कार्यों और आचरण को लाया है।पति और पत्नी के बीच संबंध वर्ष 1999 में बिगड़ गए, जब पत्नी ने चंडीगढ़ में अपने माता-पिता के साथ रहना शुरू कर दिया।यह एक स्वीकृत तथ्य है कि 09.11.2002 को, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत कार्यवाही के दौरान, लोक अदालत, चंडीगढ़ के प्रयासों से, पत्नी पति के साथ जाने के लिए सहमत हो गई और एक ही छत के नीचे उसके साथ रहने लगी।स्वाभाविक रूप से, वे एक साथ रहते हुए पति-पत्नी के रूप में साथ रहे हैं।प्यार और स्नेह के अलावा, शारीरिक अंतरंगता एक खुशहाल वैवाहिक जीवन के प्रमुख तत्वों में से एक है।वर्तमान मामले में, पत्नी अपने पति के प्रति अपने वैवाहिक कर्तव्यों को जानती थी।नतीजतन, यदि पत्नी ने वैवाहिक यौन संबंध के लिए सहमति दी है और अपने पति के साथ यौन संबंध बनाए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने एक बच्चे को गर्भ धारण करने के लिए सहमति दी है।यह पत्नी की स्वतंत्र इच्छा है कि वह बच्चे को जन्म दे या नहीं।पति उसे गर्भ धारण करने और अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है।केवल वैवाहिक अधिकारों के लिए सहमति का मतलब अपने पति के लिए बच्चे को जन्म देने की सहमति नहीं है।पत्नी ने वैवाहिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ऐसा किया। 02.01.2003 को, पति और पत्नी को पता चला कि पत्नी अपने पति से गर्भवती थी।वह बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी और अनिच्छा दिखाते हुए, 2011 के सिविल पुनः अवलोकन संख्या 6337 में याचिकाकर्ताओं से जनवरी, 2003 में अपनी गर्भावस्था को समाप्त कर दिया, जो अधिनियम के तहत ऐसा करने के लिए अधिकृत हैं।

(18) पति/प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता के तर्क को गर्भावस्था की चिकत्सीय समाप्ति, 1975 के नियमों को देखते हुए खारिज किया जाना चाहिए।

नियम 8 निम्नानुसार हैः-

"8. सहमति का प्रपत्र- धारा 3 की उप- धारा (4) में निर्दिष्ट सहमति प्रपत्र सी में दी जाएगी।

फॉर्म सी निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-

फॉर्म सी

(नियम 8 देखें)

मै..... पुत्री/पत्नी ..... उम्र .....वर्षों
कि.....(यहाँ स्थायी पता बताएँ).....
पर वर्तमान में यहाँ रहते हैं ..... यहाँ मेरी गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए मैं सहमत हूँ .....

(उस स्थान के नाम जहाँ गर्भावस्था समाप्त की जाती है)।

.....

हस्ताक्षर

स्थान:-.....

तिथि:-.....

(19) इस प्रपत्र पर केवल पत्नी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जो गर्भावस्था को समाप्त करने या गर्भपात कराने की उसकी इच्छा को दर्शाता है।चिकित्सा गर्भपात अधिनियम, 1971 (1971 का 34) में कहीं भी पति की स्पष्ट या निहित सहमति का प्रावधान नहीं है।पत्नी सबसे अच्छी न्यायाधीश होती है और उसे यह देखना होता है कि वह गर्भावस्था जारी रखना चाहती है या गर्भपात कराना चाहती है।पति ने गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए पत्नी को रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए असफल कार्रवाई की है, लेकिन मुकदमा को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया था।

(20) जब पति को अपनी पत्नी को गर्भपात कराने के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है, तो उसे मुआवजे के लिए पत्नी पर मुकदमा करने का कोई

अधिकार नहीं है।पति के पास भी इस मामले में पत्नी के खिलाफ वाद हेतु समर्थ कारण नहीं है।पति और पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए, पत्नी का अवांछित भ्रूण को समाप्त करने का निर्णय सही था।यह गर्भावस्था को समाप्त करने का कार्य नहीं था, जिसके कारण संबंध खराब हो गए, लेकिन पति और पत्नी के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण थे।इसलिए, कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि अधिनियम के तहत गर्भपात कराने के लिए पति की कोई स्पष्ट या निहित सहमति की आवश्यकता नहीं है।

(21) अब विचार के लिए अगला प्रश्न उठता है कि क्या पति के पास चिकित्सा व्यवसाई जिन्होंने अधिनियम के तहत गर्भावस्था की समाप्ति के खिलाफ मुकदमा करने का कोई कारण या अधिकार है। अधिनियम की धारा 8 में निम्नानुसार प्रावधान है :-

> "8. सद्भावना से की गई कार्रवाई का संरक्षण-इस अधिनियम के तहत सद्भावना से की गई या करने का इरादा रखने वाली किसी भी चीज़ के कारण या होने की संभावना वाले नुकसान के लिए किसी भी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के खिलाफ कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

(22) बच्चे को जन्म देना एक महिला का व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन पति के लिए बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी पत्नी को मजबूर करना पति का अधिकार नहीं है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायिक पूर्व निर्णय हैं, जहां अदालतों ने पत्नी द्वारा गर्भपात को मानसिक क्रूरता माना है और मामले के अनूठे तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस आधार पर पति को तलाक दिया है।लेकिन, हाथ में मामले में, पक्षों का एक बेटा है जिसका जन्म 14.02.1995 को हुआ है।दोनों पक्षों के संबंध तनावपूर्ण हो गए और वर्ष 1999 में पत्नी ने चंडीगढ़ में अपने पति से अलग रहना शुरू कर दिया।दूसरी गर्भधारण के समय बेटे की आयु लगभग आठ वर्ष थी, जो माँ/पत्नी के साथ है।कोई भी व्यक्ति अपनी गर्भावस्था को जारी रखने या गर्भपात करने के पत्नी के व्यक्तिगत निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जो इस कारण से हो सकता है कि एक ही छत के नीचे एक साथ रहने का प्रयास विफल हो गया है और उनका बेटा आठ साल का था। उसने याचिकाकर्ताओं से संपर्क किया,

जो गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए एक अधिकृत अस्पताल हैं।एक महिला एक ऐसी मशीन नहीं है जिसमें कच्चा माल डाला जाता है और एक तैयार उत्पाद निकलता है। उसे मानसिक रूप से गर्भधारण के लिए, उसे जारी रखने और

एक बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार होना चाहिए।अवांछित गर्भावस्था स्वाभाविक रूप से गर्भवती महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी।जब पति/वादी को पता चला कि उसकी पत्नी उस से गर्भवती है, तो यह उसका कर्तव्य था कि वह अपनी पत्नी को गर्भावस्था जारी रखने के लिए राजी करे, लेकिन पत्नी को गर्भपात कराने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दीवानी मुकदमा दायर करके अदालत में आना उसकी ओर से एक शर्मनाक कार्य था।क्योंकि इस बीच, पत्नी एक विधिवत अधिकृत चिकित्सक से गर्भपात कराने में सफल रही, इसलिए उसे सिविल मुकदमा वापस लेना पड़ा, जो कि निष्फल हो गया था।वह वहाँ नहीं रुकता है, लेकिन गर्भावस्था की समाप्ति के कारण वादी को कथित दर्द, पीड़ा और उत्पीड़न के कारण हुए नुकसान के लिए 1 लाख रुपये की वसूली के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर करके कार्रवाई करने के लिए अदालत में आया। चिकित्साकर्मियों (पुनः अवलोकन याचिकाकर्ताओं) का कार्य पूरी तरह से कानूनी था।चिकित्साकर्मियों द्वारा कोई अपराध या यातनापूर्ण कार्य नहीं किया गया था।इसलिए यह माना जाता है कि 2011 के दीवानी पुनः अवलोकन संख्या 6337 में चिकित्सक Dr.Mangla डोगरा और Dr.Sukhbir ग्रेवाल का कार्य कानूनी और उचित था।वादी/पति यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाने में विफल रहा है कि चिकित्सा व्यवसायियों का कार्य अवैध या अन्यायपूर्ण था और इस प्रकार वे हर्जाने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।चिकित्साकर्मियों के कृत्य को अनैतिक नहीं कहा जा सकता है।

(23) अब, यह अदालत यह तय करने जा रहा है कि क्या आदेश दिनांकित 20.08.2011 संलग्नक पी-5, जिसके द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 की धारा 151 के साथ पठित के अधीन वाद की अस्वीकृति करने के लिए पुनः

अवलोकन याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन चिकित्स्कों से सम्बंधित अवैध, त्रुटिपूर्ण, अधिकार क्षेत्र के बिना, न्याय की हत्या था और अदालत ने वाद को अस्वीकार करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया है।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:-

"1. वाद में निहित किए जाने वाले विवरण-वाद में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे।

(ए) से (आई) XXXXX

नियम 11. वाद खारिज करना-निम्नलिखित मामलों में वाद खारिज कर दिया जाएगा:-

(क) जहाँ यह कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है;

(ख) जहाँ दावा की गई राहत का कम मूल्यांकन किया जाता है, और वादी, न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर और न्यायालय द्वारा अपेक्षित मूल्यांकन को सही करने में विफल रहता है;

(ग) जहाँ दावा की गई राहत का उचित रूप से मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन वाद अपर्याप्त मुल्य के पृष्ठ पर रूप से लिखा जाता है और वादी , न्यायालय द्वारा निर्धारित किए समय के भीतर और न्यायालय द्वारा अपेक्षित स्टाम्प पेपर की आपूर्ति करने में विफल रहता है;

(घ) जहाँ मुकदमा वाद में दिए गए कथन से किसी भी कानून द्वारा वर्जित प्रतीत होता है;

(ई) (एफ) XXXXXXX "

(24) टी. अरिवंदम बनाम सत्यपाल और अन्य के मामले में (1), यह देखा गया है कि "यदि वाद को सार्थक रूप से औपचारिक रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट

रूप से परेशान करने वाला है, और मुकदमा करने के स्पष्ट अधिकार का खुलासा करता है, तो निचली अदालत को आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत उसमें उल्लिखित टिप्पियो का ध्यान रखते हुए अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।"

(25) लिवरपूल और लंदन एस. पी. एंड आई. एसोसिएशन लिमिटेड बनाम एम. वी. सी. सक्सेस। और एक अन्य (2) के, पैरा 132 और 133 निम्नलिखित कहा गयाः-

" 132.यह प्रचलित है कि किसी मुकदमा में किसी पक्ष अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए।एक शिकायत को अस्वीकार करने से इनकार करने वाला आदेश अंततःसिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के संदर्भ में उसके अधिकार का निर्धारण करेगा।

133. आदेश 7 नियम 11 (ए) में अंतर्निहित विचार यह है कि जब वाद हेतु समर्थ कारण प्रकट नहीं किया जाता है, तो अदालतें किसी मुकदमा की सुनवाई को अनावश्यक रूप से आगे नहीं बढ़ाएंगी।सिविल प्रक्रिया संहिता में किए गए संशोधनों द्वारा विधायी नीति में किए गए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, अदालतें प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से करेंगी ताकि खर्चों की बचत हो सकु।

---

(1) ए.आई.र. 1977 एससी 2421

(2) 2004 (9) एस सी सी 512

अभियान को प्राप्त करें और अदालत के संसाधनों का उन मामलों में उपयोग करने से बचें जो कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं करेंगे।एक मुकदमा जो अदालत की राय में विफल होने के लिए अभिशप्त है, उसे आगे एक वादकारी को परेशान करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

(26) शिकायत की अस्वीकृति के लिए संहिता के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से, शुरुआत में, किसी भी प्रमाण की मात्रा पर विचार नहीं किया जा सकता है।पक्षकारों के बीच मामले की योग्यता पर जो मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं, वे इस स्तर पर न्यायालय के दायरे में नहीं होंगे।इस स्तर पर यह देखा जाना चाहिए कि क्या प्रतिवादियों के खिलाफ वाद हेतु कोई समर्थ कारण बनता है या यह कि मुकदमा प्रथमदृष्टया, परेशान करने वाला, दुर्भावनापूर्ण है, जो केवल प्रतिवादियों को परेशान करने के लिए गलत उद्देश्य से दायर किया गया है।इसे स्वयं वाद की दलीलों से देखा जाना चाहिए।संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत, एक दीवानी मुकदमा को बिना सुनवाई के खारिज किया जा सकता है, अगर अदालत की संतुष्टि के लिए वादी को प्रतिवादियों या किसी भी प्रतिअभियोक्ता या कुछ प्रतिवादियों के खिलाफ वाद हेतु समर्थ कारण नहीं मिला है।

(27) गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति अधिनियम 1971 पति को, उसके रिश्तेदारों को तो क्या, संबंधित महिला को गर्भपात कराने से रोकने का अधिकार नहीं देता है, यदि उसका मामला उस अधिनियम की धारा 3 के तहत आता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 312 के तहत गर्भपात कराना एक दंडनीय अपराध है।कुछ परिस्थितियों में गर्भपात को वैध बनाने वाले अधिनियम में तब से प्रासंगिक नागरिक कानून को शामिल किया गया है।चूँकि कानून इस तरह की समाप्ति को प्रभावी बनाने के लिए उदार है, इसलिए अधिनियम किसी भी स्थिति में पति की सहमति पर कोई प्रावधान नहीं करता है।

(28) अब, 2011 के संख्या 6017, दीवानी पुनःअवलोकन को संक्षेप में बताते हुए Ms. Sheela Pasricha याचिकाकर्ता संख्या 2 मां है, Sh. B. R. Pasricha, याचिकाकर्ता संख्या 3 पिता है और Sh. Ajay Pasricha, याचिकाकर्ता संख्या 1 Ms. Seema Malhotra, पत्नी का भाई है।

(29) इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि उन्होंने चिकित्साकर्मियों और पत्नी के साथ मिलीभगत करने के बाद, 4.1.2003 पर एम. टी. पी. को अंजाम दिया।शिकायत में मिलीभगत का कोई विवरण नहीं दिया गया

है।लोक अदालत के हस्तक्षेप से एक-दूसरे के साथ जुड़ने के बाद निर्विवाद रूप से पति और पत्नी पानीपत में रहने लगे। वाद के अवलोकन से ही पता चलता है कि

पत्नी ने पानीपत में गर्भपात कराने का निर्णय लिया और डॉ. Ms.Ritu परभाकर, परभाकर अस्पताल, पानीपत से परामर्श किया।यह उसका अपना फैसला था।इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि पानीपत अस्पताल जाने से पहले पत्नी ने याचिकाकर्ताओं यानी माता-पिता और भाई से परामर्श किया था।2011 के सं. 6017 दीवानी पुनःअवलोकन के वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ केवल मिलीभगत के आरोप, जो किसी भी दस्तावेज द्वारा समर्थित नहीं है, वाद हेतु समर्थ कारण नहीं कहा जा सकता है।प्रतिवादी पति ने वर्ष 2003 में मुकदमा वापस लेने के बाद याचिकाकर्ताओं जो पत्नी के माता-पिता और भाई हैं को अपमानित और परेशान करने के लिए जानबूझकर वर्तमान मुकदमा दायर किया है।परिवार के सभी सदस्यों को शामिल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन इस मामले में, पत्नी को चिकित्सा सहायता प्रदान करने वाले डॉक्टरों को पीड़ित किया गया है, जिसके लिए उन्हें मुआवजा देने की आवश्यकता है।इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि वादी/पति को अपने ससुराल वालों पर मुकदमा करने के लिए कोई समर्थ कारण नहीं था। यह मुकदमा याचिकाकर्ताओं के लिए भी प्रथमदृष्टया परेशान करने वाला और योग्यता हीन है।

(30) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि 2011 के संख्या 6337 और 2011 के संख्या 6017 में वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ वादी-पति को वाद हेतु समर्थ कारण नहीं है।वे मुकदमे में आवश्यक और उचित पक्षकार नहीं हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उनके खिलाफ मुकदमा पति/वादी को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात गलत उद्देश्य के साथ दायर किया गया था। इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दीवानी मुकदमा को जारी रखना कानून की प्रक्रिया

का दुरुपयोग और न्यायाधीश की विफलता के बराबर होगा और यह न्यायाधीशालय याचिकाकर्ताओं के बचाव में आने में संकोच नहीं करेगा।

(31) नतीजतन, 2011 के संख्या 6337 और 2011 के संख्या 6017 को स्वीकार किया जाता है; सिविल जज (जूनियर डिवीजन), चंडीगढ़ द्वारा सिविल मुकदमा में पारित किए गए विवादित आदेश दिनांक 20.08.2011, जिसका शीर्षक अनिल कुमार मल्होत्रा बनाम श्रीमती सीमा मल्होत्रा और अन्य को ख़ारिज कर दिया जाता है और Dr.Mangla Dogra और Dr.Sukhbir Grewal, Ms. Sheel Pasricha, Sh.B.R.Pasricha और Sh.Ajay Pasricha, के खिलाफ मुकदमा को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज कर दिया जाता है।तदनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 अनिल कुमार मल्होत्रा को 25,000/- रुपये की लागत का भुगतान दोनों याचिकाकर्ता को करने का निर्देश दिया जाता है।

पी. एस. बी.।
1708/एच. सी. आई. एल. आर.-सरकार प्रेस, यू. टी., चंडीगढ़

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देस्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा|

हुकम सिंह,
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)